

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखे)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिये,जब स्थान संविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

राजस्थान राज्य (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र) के दांतारामगढ (36) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से विधान सभा के लिए निर्वाचन ।


निर्वाचन का संचालन नियम,1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में घोषणा करता हूँ कि -

श्री वीरेंदर सिंह

जो इंडियन नेशनल काँग्रेस (मान्यता प्राप्त /रजिस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) द्वारा खड़े किए गए।
उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान के लिये सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए है।

स्थान: सीकर

दिनांक : 11.12.2018


(मनोज कुमार मीणा)

रिटर्निंग आफिसर

(उपखण्ड अधिकारी एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट,दांतारामगढ)

36-दांतारामगढ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र

FORM-21 C
(SEE RULE- 64)

(For use in General Election when seat is contested)
**Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of
the people Act, 1951**


**ELECTION TO THE LEGISLATIVE ASSEMBLY OF RAJASTHAN
(STATE) FROM DANTARAMGARH (36) ASSEMBLY CONSTITUENCY**

In pursuance of the Provision Contained in section 66 of the Representation
of the people Act. 1951 read with rule 64 of conduct of Election Rules, 1951
declare that:-

Shri : VIRENDRA SINGH
Village : BULDAKON KI DHAANI
TULSIRAMPURA TEH- DANTARAMGARH
DISTT-SIKAR

Sponsored by Indian National Congress (Name of the recognized political party)
Has been duly elected to fill the seat in the House from the above Constituency.

Place : SIKAR
Date : 11-12-2018


(Manoj Kumar Meena)
RETURNING OFFICER
(36)DantaramgarhAssembly constituency
(Sub Divisional Magistrate) Dantaramgarh